कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 326 /प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1(आवंटन)/कैम्प दिनांक : 24 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश ई पत्रावली संख्या 12992/IRR 2-15/15.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/241680/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा पी0एम0के0एस0वाई0–ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन जमरानी बांध से सम्बन्धित कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में 14–केन्द्रपोषित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण Central Share (C.S.) मद (20/4700–01–001–01–02–14) में प्रावधानित बजट रू0 630.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 157.50 करोड़ (केन्द्रांश) एवं 14–केन्द्रपोषित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण State Share (S.S) मद (20/4700–01–001–95–02–14) में प्रावधानित बजट रू0 70.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 17.50 करोड़ (राज्यांश) इस प्रकार **कुल रू0 175.00 करोड़ (रू0 एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र)** की धनराशि योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी मूल शासनादेश सं0 198453/2024, दिनांक 13.03.2024 में उल्लिखित शर्तो के अधीन एस0एन0ए0 खाते में जमा/व्यय किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता के निवर्तन पर रखते हुये आवंटन किया गया है।

अतः उक्त आवंटित कुल धनराशि **रू0 175.00 करोड** का मदवार निम्नानुसार आवंटन किया जाता है :–

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का विस्तृत विवरण/कार्य का नाम/मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि
	Managing Director, UPDCCL, Dehradun.	
	General Manager Project Implementation Unit Jamrani-Haldwani	
क	20/4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 01–जमरानी बॉध, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 01–केन्द्र सहायतित योजना, 02–पी0एम0के0एस0वाई0–ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत निर्माण (जमरानी बॉध), 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण (20/4700–01–001–01–02–14)	
	जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना निर्माण हेतु–केन्द्रांश की धनराशि	157.50
ख	20/4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 01–जमरानी बॉध, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 95–केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश, 02–पी0एम0के0एस0वाई0–ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत निर्माण (जमरानी बॉध), 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण (20/4700–01–001–95–02–14)	
1	**जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना निर्माण हेतु–राज्यांश की धनराशि**	17.50
	कुल योग	**175.00**

(रूपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र)

उपरोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश ई पत्रावली संख्या IRR 2-15/15.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 12992/I225610/2024, दिनांक 18.07.2024 में उल्लिखित निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:–

(i) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र सं0 P/1/2024-Office of DC SPR-MOWR/1587-1606, dt. 28.06.24 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं अन्य सभी गाईड–लाईन्सविनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

(v) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित पोषित न हो । अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय ।

(vi) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जाये।

(vii) कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा अवमुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(ix) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा । अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये ।

(xii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अग्रिप्राप्ति नियमावली, 2017 समय–समय पर यथा संशोधित तथा मितव्ययता के सम्बन्ध मे समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(xiii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/20243, दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं एवं उक्त शासनादेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।

(जयपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 326 /प्र0अ0/बजट/बी–1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0, देहरादून ।
5. महाप्रबन्धक (पी0आई0यू0), जमरानी, हल्द्वानी ।

24-9-24

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता